बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग—1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

मंगलवार, तिथि 21 जुलाई, 1981 ई० ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 4(ii) के परन्तुक के अन्तर्गत	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—गत सत्र के अतारांकित प्रश्नोत्तरों का सभा-पटल पर रखा जाना ।	
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या : 46, 47 एवं 48	... 2—7
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या : 523, 1649, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2355, 2380, 2403 एवं 2425 ।	... 7—35
परिशिष्ट—1 (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :	... 36—82
परिशिष्ट—2 (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :	....83—244
दैनिक निबन्ध	245-246

टिप्पणी :—किन्हीं मा० मंत्रियों या सदस्यों से उनके भाषण के संशोधन प्राप्त नहीं हुए हैं ।

शुद्धिकरण करती हुए श्रीमती दास को हसनपुर (समस्तीपुर) से मधुबनी के लिए कब तक विरमित करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मन्त्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग—(1), (2), (3) इस त्रुटि को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के पत्रांक 4746 (प० क०), दिनांक 30-10-78 के द्वारा सुधार कर दिया गया है।

(4) एवं (5) श्रीमती दास का स्थानान्तरण समस्तीपुर से मधुबनी में निदेशालय आदेश संख्या 3665 (प० क०), दिनांक 11-8-78 द्वारा किया गया है तथा उन्हें अपने स्थानान्तरित पद पर योगदान करने के लिए विरमित कर दिया गया है।

सड़क की मरम्मत।

स-19. श्री राम लखन राम 'रमण'—क्या मन्त्री, लोक निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—क्या यह बात सही है कि जयनगर पथ अवर प्रमंडल लोक निर्माण विभाग, के अन्तर्गत दरभंगा, रहिका-जयनगर पथ 25 से 27 मील जयनगर-लदनियां एवं खजौली-बासोपट्टी हरलाखी पथ मरम्मति के अभाव में लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई होती है; यदि हाँ, तो सरकार उक्त सड़क की मरम्मति करने का विचार रखती है ?

प्रभारी मन्त्री, लोक निर्माण विभाग—उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। संरक्षण मद में सरकार द्वारा उपलब्ध निधि के अनुरूप तथा उपलब्ध पिंदुमेन के अनुसार मरम्मति का कार्य कराया जाता है।

सड़क की मरम्मति।

स-10. श्री राम लखन राम 'रमण'—क्या मन्त्री, लोक निर्माण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली से बासोपट्टी भाया कलुआही जानेवाली पक्की सड़क की दशा अत्यन्त ही दयनीय है, यदि हाँ, तो सरकार इसकी मरम्मति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मन्त्री, लोक निर्माण विभाग—उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। फन्नुआही-बासोपट्टी अंश कुछ क्षतिग्रस्त है।

मरम्मति कार्य प्रति वर्ष उपलब्ध निधि के अनुरूप कराया जाता है। प्रसंगाधीन पथ के स्वीकृति एवं निधि उपलब्ध होने के पश्चात् ही करना सम्भव है।

— —

सेन्टर खोलने का विचार।

प्र-14. श्री राम लखन राम 'रमण'—क्या मन्त्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि मधुबनी जिलान्तर्गत खजौली प्रखण्ड के महाकिया ग्राम (बतरा पंचायत) में एक हेल्थ सेन्टर की आवश्यकता है;

(2) क्या यह बात सही है कि इसके आस-पास 4 मील तक कोई हेल्थ सेन्टर नहीं है और यह इलाका नदियों से घिरा है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त स्थान पर हेल्थ सेन्टर खोलने की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मन्त्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग—खण्ड 1, 2 एवं 3—खजौली प्रखंड में 10,000 की आबादी पर आदेय 12 स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्थापित हैं। महाकिया ग्राम में स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने का अभी निर्णय नहीं है।

——

छात्रों का समाधान।

प्र-13. श्री राम लखन राम 'रमण'—क्या मन्त्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार ने नयी शिक्षण संस्थाएं न खोलने का निर्णय लिया है;

(2) क्या यह बात सही है कि विभिन्न कॉलेजों में सीमित दायरे में ही नामांकन किये जाते हैं। जिसके कारण सभी छात्रों का नामांकन नहीं हो पाता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त समस्या का समाधान किस तरह करना चाहती है?